

न्यूज डुडे

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की सांख्यिकी रिपोर्ट-2019 जारी की गयी

○ SRS की सांख्यिकी रिपोर्ट-2019 पर एक नजर:

संकेतक (Indicators)	निष्कर्ष (Findings)
अशोधित जन्म दर (Crude Birth Rate: CBR) — एक साल में प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या	● वर्ष 2019 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 19.7 थी। ● यह बिहार में अधिकतम (25.8) और केरल में न्यूनतम (13.5) थी। ● वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक देश के CBR में 1.3 अंक की गिरावट आई है। ग्रामीण CBR में 1.3 अंक की गिरावट और शहरी CBR में 1.0 अंक की गिरावट दर्ज की गयी है।
अशोधित मृत्यु दर (Crude Death Rate: CDR) — छह माह में प्रति 1,000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या	● वर्ष 2019 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 6.0 थी। ● यह छत्तीसगढ़ में अधिकतम (7.3) और दिल्ली (3.2) में न्यूनतम थी। ● पिछले पांच वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय CDR में 0.7 अंक की गिरावट आई है। महिला CDR में 0.6 अंक जबकि पुरुष CDR में 1.2 अंक की गिरावट दर्ज की गयी है।
शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR) — एक साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु की संख्या।	● राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर, वर्ष 2018 के 32 से कम होकर वर्ष 2019 में 30 हो गई है, जो 2 अंकों की गिरावट दर्शाती है। ● यह मध्य प्रदेश में अधिकतम (46) और केरल में न्यूनतम (6) है।
5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु दर (U5MR) — यह किसी वर्ष विशेष या अवधि में जन्म लिए बच्चे की 5 साल के उम्र से पहले मृत्यु की संभावना को दर्शाती है।	● वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 1 अंक की गिरावट देखी गई (वर्ष 2018 में 36)। ● इसी अवधि के दौरान पुरुष U5MR में 1 अंक और महिला U5MR में 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गयी है।
जन्म के समय लिंगानुपात — प्रत्येक 1,000 लड़कों के जन्म पर पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या।	● यह राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2016-2018 के 899 से 5 अंक बढ़कर वर्ष 2017-19 में 904 हो गया है। ● यह केरल में सर्वाधिक (968), जबकि उत्तराखंड में न्यूनतम (848) है।
कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR) — यह महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है।	● पिछले दो वर्षों, 2017 और 2018 में 2.2 पर स्थिर रहने के बाद कुल प्रजनन दर वर्ष 2019 में घटकर 2.1 पर आ गई है। ● कुल प्रजनन दर बिहार में सर्वाधिक (3.1) दर्ज की गई है जबकि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने सबसे कम TFR (1.5) दर्ज की है। ● कुल 15 राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। जब TFR 2.1 पर आ जाए तो उसे प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं।
प्रतिस्थापन प्रजनन स्तर (Replacement fertility level) का आशय TFR के उस दर से है, जिस पर जनसंख्या स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकती है।	

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के बारे में

- इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
- SRS, भारत में दशकीय जनगणना को छोड़कर जनसांख्यिकीय डेटा का एकमात्र आधिकारिक स्रोत है।
- SRS वस्तुतः राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर आदि से संबंधित अन्य संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है।

वानिकी संबंधी पहल (Forestry Interventions) के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) जारी की गई

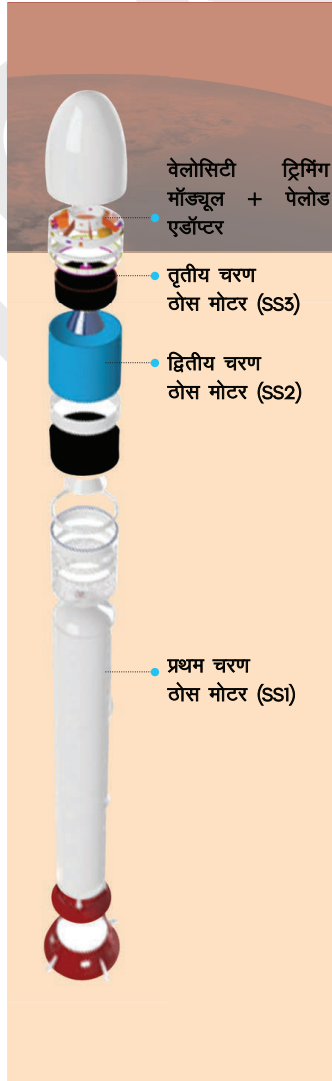
- ये तेरह नदियाँ हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी।
 - सामूहिक रूप से इन नदियों का बेसिन (अपवाह क्षेत्र) 18 लाख वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 57.45% है।
- इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Reports: DPRs) की विशेषताएं:
 - इसमें इन 13 नदियों के साथ-साथ इनकी सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत इन नदियों के आस-पास के भू-परिदृश्य (landscapes) अर्थात् नदी-परिदृश्य में वानिकी संबंधी पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। ये वानिकी संबंधी पहल निम्नलिखित अलग-अलग भू-परिदृश्यों में किये जाएंगे:
 - ❖ प्राकृतिक भू-परिदृश्य, ❖ कृषि भू-परिदृश्य, और ❖ शहरी भू-परिदृश्य।
 - इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान, "रिज टू वैली एप्रोच (चोटी से घाटी दृष्टिकोण)" का पालन किया जाएगा। वृक्षारोपण से पहले मृदा और नमी संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।
 - ❖ रिज टू वैली एप्रोच: इसका आशय/उद्देश्य है— उपलब्ध वर्षा के जल को रोकना, उसके प्रवाह को आवश्यकतानुसार दिशा देना, उसे स्टोर करना और उपयोग करना। इसके तहत रिज या कटक के शीर्ष से लेकर घाटी तक जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार यह सतही अपवाह की मात्रा और जल के वेग, दोनों को काफी हद तक कम करता है।
- इस परियोजना के तहत मुख्य रूप से वन संरक्षण, वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र के पुनरुद्धार, पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, नमी संरक्षण, आजीविका में सुधार, आय सृजन, इको-टूरिज्म आदि पर बल दिया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति रिवर फ्रंट्स व इको-पार्क्स को विकसित करके और जनता के बीच जागरूकता पैदा करके की जाएगी।
- इस परियोजना का महत्व: इस परियोजना से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की संभावना है:
 - ❖ देश में वनावरण में वृद्धि, ❖ मृदा अपरदन में कमी, ❖ जलस्तर का पुनर्भरण,
 - ❖ कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण में सहायक, ❖ गैर-काष्ठ वनोपज की प्राप्ति में सहायक, आदि।
- इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन) द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
- इसे भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (Indian Council of Forestry Research & Education: ICFRE), देहरादून द्वारा तैयार किया गया है।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) को लागू करने के लिए किए गए उपायों के बारे में लोक सभा को सूचित किया गया

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) लॉन्च किया गया था।
 - ICAP, 20 वर्ष का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है और सतत कूलिंग तक पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियों की रूपरेखा तैयार करता है।
- ICAP के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:**
 - वर्ष 2037-38 तक सभी क्षेत्रों में कूलिंग की मांग को 20% से 25% तक कम करना।
 - वर्ष 2037-38 तक रेफ्रिजरेट की मांग को 25% से 30% तक कम करना।
 - वर्ष 2037-38 तक कूलिंग के लिए बिजली की आवश्यकता को 25% से 40% तक कम करना।
 - राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुसंधान के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में "कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों" को मान्यता देना।
 - रिकल इंडिया मिशन के साथ समन्वय करते हुए वर्ष 2022-23 तक सर्विसिंग क्षेत्र के 1,00,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र देना।
- ICAP के विषयगत (थीमेटिक) क्षेत्रों को लागू करने के लिए उठाए गए कदम:**
 - सभी बड़े वाणिज्यिक (गैर-आवासीय) भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (Energy Conservation Building Code: ECBC) और आवासीय भवनों के लिए इको-निवास संहिता (ECBC-R) लागू की गयी है।
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक ऐसे रेफ्रिजरेट के स्वदेशी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शोध परियोजना को वित्त पोषित किया है, जो ग्लोबल वार्मिंग में कम-से-कम योगदान दे।
 - रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में ज्वलनशील रेफ्रिजरेट के लिए सुरक्षा मानकों को विकसित करने के लिए एक अध्ययन किया गया है।
 - प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत 43,450 तकनीशियनों (रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सर्विसिंग से संबंधित) का कौशल विकास कर उन्हें प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) के लिए ठोस बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक स्थलीय परीक्षण किया

- यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) में किया गया।
- ठोस बूस्टर चरण (solid booster stage) के इस सफल परीक्षण ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की पहली विकासात्मक उड़ान (SSLV-D1) आरंभ करने का आत्मविश्वास दिया है।
 - इसरो आमतौर पर दो सफल विकासात्मक उड़ानों के बाद किसी प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपण के लिए तैयार यान घोषित करता है।
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान या SSLV के बारे में:
 - इसके सभी तीन चरणों में ठोस बूस्टर का उपयोग किया गया है। यह 500 किलोग्राम के उपग्रह को 500 कि.मी. की ऊंचाई पर निम्न भू-कक्षा (Low Earth Orbit: LEO) में स्थापित कर सकता है।
 - इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को LEO में स्थापित करने की बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करना है।
 - यह इसरो का 110 टन द्रव्यमान वाला सबसे छोटा प्रक्षेपण यान है।
- SSLV के लाभ:**
 - इसका टर्नअराउंड टाइम कम है, अर्थात् इसे असेम्बल (एकीकृत) करने में केवल 72 घंटे लगते हैं, जबकि अन्य यानों को असेम्बल करने में अभी 70 दिनों का समय लगता है।
 - यह एक लागत-प्रभावी यान है। इसकी लागत केवल 30 करोड़ रुपये के आसपास होगी।
 - इसके लिए कम बुनियादी ढांचे और कम लोगों की आवश्यकता होती है। इसे सात दिनों के भीतर छह विशेषज्ञों वाली एक टीम द्वारा असेम्बल किया जा सकता है।
 - PSLV और GSLV के विपरीत, SSLV को लंबवत और क्षैतिज, दोनों तरह से असेम्बल किया जा सकता है।
 - यह नैनो, माइक्रो और लघु उपग्रह जैसे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त है।



भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए विनियामकीय रूपरेखा दिशा-निर्देश, 2022" [RBI (Regulatory Framework for Microfinance Loans) Directions, 2022] जारी किए हैं

- ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित के तहत जारी किए गए हैं:
 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949,
 - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, और
 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987
- ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं पर लागू होंगे:
 - भुगतान बैंकों (पेमेंट बैंक) को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक;
 - सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; और
 - सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)
- इन दिशा-निर्देशों पर एक नजर:
 - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी है। हालांकि, MFIs द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरें बहुत अधिक या अनुचित नहीं होनी चाहिए।
 - NBFC-MFIs के लिए 'सूक्ष्म वित्त ऋण' की न्यूनतम आवश्यकता को संशोधित करके कुल परिसंपत्ति का 75 प्रतिशत कर दिया गया है।
 - इससे पहले NBFC-MFIs के लिए अपनी कुल परिसंपत्ति का न्यूनतम 85 प्रतिशत 'अर्हक संपत्ति' (qualifying assets) के रूप में रखना आवश्यक था। अब NBFC-MFIs की 'अर्हक संपत्ति' की परिभाषा को 'सूक्ष्म वित्त ऋण' (microfinance loans) की परिभाषा के साथ जोड़ दिया गया है।
 - प्रत्येक विनियमित संस्थान को सूक्ष्म वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण (pricing of microfinance loans) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी होगी।
 - सूक्ष्म वित्त ऋणों पर वसूली की जाने वाली ब्याज दरें और अन्य प्रशुल्क/शुल्क, RBI की निगरानी के अधीन होंगे।
 - सूक्ष्म वित्त ऋणों को समय से पहले भुगतान करने पर प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी। ऋणों के भुगतान में देरी की स्थिति में केवल बकाया राशि पर ही पेनल्टी वसूली जाएगी, न कि संपूर्ण ऋण राशि पर।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। यह ग्राहकों के उपग्रहों के लिए SSLV प्रक्षेपण से संबंधित एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तरदायी एकमात्र नोडल एजेंसी है। इन सेवाओं में संविदात्मक, तकनीकी, प्रोग्रामेटिक, प्रक्षेपण-पूर्व, प्रक्षेपण के दौरान और प्रक्षेपण-पश्चात् गतिविधि से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

माइक्रोफाइनेंस या सूक्ष्म वित्त के बारे में

○ सूक्ष्म वित्त एक प्रकार की वित्तीय सेवा है। इसके तहत गरीब और कम आय वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का एक साधन है।

➤ भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान निर्देशों के अनुसार:

❖ 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को प्रदान किए गए सभी जमानत-मुक्त (कोलेटरल-फ्री) ऋणों को सूक्ष्म वित्त ऋण माना जाएगा।

अन्य सुर्खियाँ

 यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए संगठन (Organization for Security and Co-operation in Europe: OSCE)	○ भारत ने यूक्रेन संकट के मद्देनजर OSCE की भूमिका की सराहना की है। ○ OSCE के बारे में: ➤ OSCE का उद्भव वर्ष 1975 में आयोजित यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन (Conference on Security and Co-operation in Europe: CSCE) से हुआ है। ❖ CSCE की स्थापना पूर्व और पश्चिम के बीच वार्ता हेतु एक बहुपक्षीय मंच के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। ➤ इसके तहत सुरक्षा से संबंधित एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। इसमें राजनीतिक और सैन्य, आर्थिक और पर्यावरणीय तथा मानवीय पहलुओं को शामिल किया गया है। ➤ इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ➤ इसमें तीन महाद्वीपों (उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया) के 57 देश भागीदार हैं। ➤ भारत इसका सदस्य नहीं है।
 11वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का तिमाही बुलेटिन (अप्रैल-जून 2021) {11th Periodic Labour Force Survey (PLFS)— Quarterly Bulletin (April - June 2021)}	○ इसके अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2021 में घटकर 12.6 प्रतिशत हो गई। यह पिछले वर्ष के इसी अवधि में 20.8 प्रतिशत थी। ○ PLFS की शुरुआत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2017 में की गयी थी। इसकी शुरुआत नियमित रूप से श्रम बल से संबंधित डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु की गई थी। ○ PLFS का उद्देश्य: ➤ शहरी क्षेत्रों के लिए तीन माह की अल्पकालिक अवधि में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों का अनुमान लगाना। ❖ यह अनुमान केवल 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (Current Weekly Status: CWS) के आधार पर लगाया जाता है। ➤ वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में "सामान्य स्थिति (Usual Status)" और CWS, दोनों के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों का अनुमान लगाना।
 विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number: ULPIN)	○ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि शासन सुधारों (Land Governance Reforms) पर एक ई-बुक जारी की है। यह ई-बुक, ULPIN, राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) आदि से संबंधित बजट में घोषित भूमि शासन सुधारों से संबंधित है। ○ ULPIN: इसे "भूमि के लिए आधार संख्या" भी कहा जाता है। यह एक 14-अंकीय पहचान संख्या है। इसके तहत सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक भूखंड को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोकना है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहां भूमि संबंधी ज्यादातर रिकॉर्ड्स पुराने और विवादित हैं। ○ राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System: NGDRS): यह राज्य की संपत्ति पंजीकरण कानूनों के अनुसार, अनुकूलन में सक्षम एक नागरिक केन्द्रित सॉफ्टवेयर है। इसे ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण, प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करने आदि के लिए राज्यों की सहायता करने हेतु डिजाइन किया गया है।
 बाल भवन	○ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में सिफारिश की गई है, कि प्रत्येक राज्य को मौजूदा "बाल भवन" को मजबूत करने या नये "बाल भवन" स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ○ "राष्ट्रीय बाल भवन" के बारे में: ➤ यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाना है। इसके तहत घुलने-मिलने, प्रयोग करने, कुछ बनाने और परफॉर्म करने के लिए अलग-अलग गतिविधियों, अवसरों और साझे मंच की सहायता से बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ➤ वर्ष 1956 से ही यह लिंग, वर्ग, जाति आदि से परे बच्चों की जिज्ञासा और कल्पना को पोषित करने का प्रयास कर रहा है। ➤ यह सभी संबद्ध बाल भवनों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।
 निवल शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emissions)	○ मुंबई शहर ने वर्ष 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजनाओं की घोषणा की है। इस तरह की समय-सीमा निर्धारित करने वाला मुंबई, दक्षिण एशिया का पहला ऐसा शहर बन गया है। ➤ इस योजना के तहत, आवास में निवेश, सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण, बाढ़ के प्रकोप को सहने में सक्षम ड्रेनेज प्रणाली, रूफटॉप सौर क्षमता आदि जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाया जाएगा। ○ निवल शून्य उत्सर्जन के बारे में: ➤ यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है, जिसमें वायुमंडल में पहुंचने वाली ग्रीन हाउस गैसों को, वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने वाली मात्रा से संतुलित कर दिया जाता है। ➤ भारत ने वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है।

 मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान (Mouling National Park)	○ मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी घाटी से सटे पूर्वी हिमालय की आदि पहाड़ियों (Adi Hills) में स्थित है। ○ यह दिहांग-दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्वी भाग है। ○ इसका निर्माण वर्ष 1986 में किया गया था। ○ इसका 'मौलिंग' नाम 'मौलिंग' नामक शिखर पर पड़ा है। ○ वनस्पति: यहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार और अर्द्ध-सदाबहार वन तथा ऊपरी भाग पर आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले और समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ○ प्राणिजात (Fauna): यहां लाल पांडा, हिरण, हुल्लोंक गिबन्स, बाघ, जंगली भैंस, तेंदुआ, हाथी, हॉग डियर, बार्किंग डियर, चेस्टनट-ब्रेस्टेड हिल पार्ट्रिज, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल आदि पाए जाते हैं। ○ जलवायु: यहां की जलवायु अत्यधिक आर्द्र है, और बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा, यहां कोई सुपरिभाषित शुष्क मौसम नहीं पाया जाता है।
 सॉफिश (Sawfish)	○ कर्नाटक में मछली पकड़ने के दौरान जाल में एक अत्यंत दुर्लभ और क्रिटिकली एंजेंजर्ड 'सॉफिश' को पकड़ा गया है। ○ सॉफिश का सिर और शरीर, लंबा व चपटा होता है। इनके नाक के आगे उभरा हुआ एक लंबा भाग होता है, जो सॉ शार्क के उभरे हुए भाग की तरह होता है। इनके पंक्तिबद्ध दांत एक आरी की तरह दिखाई देते हैं। ○ पर्यावास: ये विश्व के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उथले जल में रहने वाला जीव हैं। ये गहराई में पाई जाती हैं। ○ सॉफिश 'ओवोविविपेरस (ovoviviparous)' मछलियां हैं। इसका अर्थ यह है कि निषेचित अंडे, मादा सॉफिश के शरीर के भीतर विकसित होते हैं, जिसके बाद युवा सॉफिश जन्म लेते हैं। ○ संरक्षण स्थिति (IUCN के अनुसार): ➢ लार्ज टूथ सॉफिश: क्रिटिकली एंजेंजर्ड ➢ ड्वॉर्फ सॉफिश: एंजेंजर्ड ➢ ग्रीन सॉफिश: क्रिटिकली एंजेंजर्ड ➢ स्मॉल टूथ सॉफिश: क्रिटिकली एंजेंजर्ड ➢ नैरो सॉफिश: एंजेंजर्ड
 फूल देई (Phool Dei)	○ फूल देई, प्रतिवर्ष उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष फूलों के मौसम (मार्च-अप्रैल) में नए साल और बसंतोत्सव का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ➢ यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। ➢ इस त्यौहार में बच्चे, विशेष रूप से युवा लड़कियां, स्थानीय देवताओं को चढ़ाने हेतु ताजे फूल लेने के लिए खेतों, जंगलों और बगीचों में जाती हैं। ○ इस उत्सव में अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति, विशेष रूप से स्थानीय फूलों और पेड़ों के प्रति स्नेह और सुरक्षा की भावना निहित है।
 सुखियों में रहे व्यक्तित्व	मीना स्वामीनाथन: ○ हाल ही में, शिक्षाविद मीना स्वामीनाथन का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया है। ○ वह कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन की पत्नी थीं। ○ वह एम. एस.स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की एमेरिटस ट्रस्टी थीं। ○ प्रमुख योगदान: ➢ उन्होंने तमिलनाडु में इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम (ICDS) की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। ➢ वह मोबाइल क्रैच के संस्थापकों में से एक थीं। ➢ वह सेंटर फॉर वीमेन डेवलपमेंट स्टडीज की संस्थापक सदस्य थीं। ➢ वह बचपन की देखभाल और शिक्षा पर यूनेस्को और यूनिसेफ से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार थीं। ○ व्यक्तिगत मूल्य: सामाजिक कल्याण, लैंगिक समानता, आदि।